कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी,

रोशनदौला कोठी, कैसरबाग, लखनऊ
Call Center, 2623739 website-lucknow.nic.in/deo.html,Email lucknowadeo@gmail.com

संख्या– 1769 / निर्वाचन–49 / 2017 दिनॉक–28 जुलाई, 2017

प्रेस विज्ञप्ति

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियों मे युवा निर्वाचको (18–21 वर्ष के आयुवर्ग मे युवा भारतीय नागरिक) के पंजीकरण हेतु दिनॉक– 01 जुलाई, 2017 से 31 जुलाई, 2017 तक विशेष अभियान चल रहा है। आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार उक्त विशेष अभियान के दौरान दिनॉक– 30 जुलाई, 2017 (रविवार) को समस्त मतदान केन्द्रों पर प्रात–10–00 बजें से सांय–5–00 बजें तक विशेष कैम्प आयोजित किये जायेगे। विशेष कैम्प मे बूथ लेविल अधिकारी निर्वाचक नामावलियों का निःशुल्क निरीक्षण मतदाताओं को करायेगे और जनमानस द्वारा वांछित आयोग द्वारा नवीनतम फार्म मतदाताओं को निःशुल्क उपलब्ध करायेगे तथा भरे हुए दॉवे / आपत्तियों प्राप्त करके पावती रसीद उपलब्ध करायेगे। पुराने फार्म अमान्य होगे।

नियुक्त सभी बूथ लेविल अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने आवॅटित मतदान केन्द्र पर नियत समय प्रातः 10–00 बजे से सांयकाल 05–00 बजें तक उपस्थित रहकर निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा समस्त सुपरवाजिरों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने आवॅटित मतदान केन्द्रों पर बूथ लेविल अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगे और अनुपस्थिति की सूचना तत्काल अवगत करायेगे। सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सेक्टर अधिकारी भ्रमणशील रहेंगे और उपस्थिति सुनिश्चित करायेगे। यदि कोई भी बूथ लेविल अधिकारी एवं सुपरवाईजर्स अनुपस्थित पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। विशेष अभियान तिथियो दिनॉक– 30 जुलाई, 2017 (रविवार) को लगे सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश निरस्त रहेंगे।

समस्त जनपदवासियो से अपील है कि जिनकी आयु 01 जनवरी, 2017 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो और उनका नाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावली मे अभी तक सम्मिलित न हो तो आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम का लाभ उठाए। पहली बार मतदाता या किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से किसी अन्य एक निर्वाचन क्षेत्र मे स्थानान्तरण के कारण निर्वाचक नामावली मे नाम को सम्मिलित करने के लिए फार्म–6, किसी प्रवासी निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली मे नाम सम्मिलित किय जाने के लिए फार्म–6ए, मृत्यु / स्थान परिर्वतन के कारण निर्वाचक नामावली मे अन्य व्यक्ति का नाम सम्तिलित करने का आक्षेप / अपना नाम हटाने / किसी अन्य व्यक्ति का नाम हटाने के लिए आवेदन फार्म–7, निर्वाचक नामावली मे प्रविष्ट विशिटियों की शुद्धि के लिए आवेदन फार्म–8 एवं उसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र मे निवास स्थान स्थानान्तरित करने के मामले मे फार्म–8ए प्रयुक्त होगे।

(कौशल राज शर्मा)
जिलाधिकारी /
जिला निर्वाचन अधिकारी
लखनऊ।